मण्डल:- लखनऊ,जनपद:- लखनऊ,तहसील:- लखनऊ

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 07640/2018

शिवम् बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति बनाम उ०प्र० सरकार

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 14/06/2018

निर्णय

प्रस्तुत वाद कार्यवाही शिवम् बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0, कार्यालय धावां स्टेट, परगना तहसील व जिला लखनऊ द्वारा अध्यक्ष भैरो सिंह पुत्र स्व0 सन्तराम निवासी ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-80 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अभिलिखित है कि प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 0.2880हे0 स्थित ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ ग्राम का बतौर संक्रमणीय भूमिधर मालिक कामिल व काबिज है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के आस-पास रिहायशी व व्यावसायिक भवन बने हुए हैं और प्रार्थीगण की भूमि के आस-पास व प्रार्थीगण की भूमि पर काफी समय से कृषि कार्य व मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन आदि नही हो रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पर निर्माण हो रहा है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर, लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.05.2018 के अनुसार गाटा संख्या 129 रकबा 0.288हे0 खातेदार शिवम् बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 लखनऊ अध्यक्ष भैरो सिंह निवासी ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ के नाम अंकित है। उक्त गाटा पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। अतः गाटा संख्या 129 रकबा 0.288हे0 कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

वादीगण द्वारा अपने साक्ष्य में ग्राम धावां परगना, तहसील व जिला लखनऊ का खसरा 1423फ0 एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 की प्रमाणित की प्रति संलग्न की गई है। वादीगण द्वारा मौके का फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किया है व उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 व नियम 85 (2) के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान संख्या जी-070016 दिनांक 22.06.2018 को रु0 41,472/- (रुपये इकतालीस हजार चार सौ बहत्तर रूपये मात्र) जमा किया गया है, जो संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार सदर लखनऊ की उक्त आख्या दिनांक 05.05.2018 से संतुष्ट होने के पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिलाधिकारी को नोटिस जारी की गयी, जो बाद तामील पत्रावली पर संलग्न है। लखनऊ विकास प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई जवाब/आपत्ति कार्यालय को प्राप्त नही हुई।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/साक्ष्यों एवं तहसीलदार, सदर की आख्या का विधिवत अवलोकन व परिशीलन किया गया, तथा पत्रावली पर रक्षित साक्ष्यो का गहनता से परीक्षण किया गया। तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 05.05.2018 के अनुसार गाटा संख्या 129 रकबा 0.288हे0 खातेदार शिवम् बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 लखनऊ अध्यक्ष भैरो सिंह निवासी ग्राम धावां परगना तहसील व जिला लखनऊ के नाम अंकित है। उक्त गाटा पर कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, बागवानी, मत्स्य पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा वादीय भूमि का छाया चित्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में उपरोक्त विवेचना से पूर्णतः संतुष्ट होने के पश्चात उक्त भूमि का उपयोग गैर कृषिक होने के कारण अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

आदेश

अतः प्रश्नगत भूमि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त तहसीलदार, सदर, लखनऊ की आख्या दिनांक 05.05.2018 की पुष्टि की जाती है। तद्नुसार ग्राम धावां, परगना, तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खाता संख्या 00209 की गाटा संख्या 129 रकबा 0.288हे0 भूमि को कृषि प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना-2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा-82 उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार तत्काल अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य यदि कभी भी संज्ञान में आने पर अविधिक एवं फर्जी पाये जाते है तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभिलेखों में अमल-दरामद हेतु आदेश की एक प्रति तहसीलदार, सदर, लखनऊ को व एक प्रति उप निबन्धक लखनऊ को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14.6.18

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

14.6.18

(अभिनव रंजन श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्र0श्रे0)
सदर, लखनऊ।